न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप–जबलपुर

विविध 9269-I-16

विविध प्र0क0 –एक/2016 जिला जबलपुर

1– देवलाल
2– जगत सिंह
3– रामचरण
पुत्रगण देवीसिंह जाति गौंड
सभी निवासी ग्राम घोड़ाटाकन तह. कुण्डम
जिला जबलपुर

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1– मो0 इमरान पिता श्री मो. सोहराब
निवासी 203 दत्त एण्ड चड्ढा इन्क्लेव, साउथ
सिविल लाईन जबलपुर
2– म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर

.... अनावेदकगण

विविध आवेदन अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 निग0 2279–एक/16 में पारित आदेश दिनाक 22–7–16 द्वारा दी गई अनुमति की शर्त कमांक 3 में वृद्धि बावत)

मान्यवर,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

1. यहकि, इस न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी कमांक 2279–एक/16 में दिनांक 22–7–16 को आदेश पारित करते हुए आवेदकों को शर्तों के साथ भूमि विकय की अनुमति प्रदान की गई है ।
2. यहकि, आदेश की शर्त कमांक 3 के अनुसार 4 माह का समय विकयपत्र के निष्पादन हेतु दिया गया है ।

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक 9269–एक/2016 विविध

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
4-10-17	तत्का0सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 2279-एक/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 22-7-16 के अंतिम पद में अंकित शर्त कमांक 3 में निर्धारित अवधि को बढ़ाये जाने हेतु यह विविध आवेदन म0प्र0 भू राजस्व संहिता, .1959 की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ विविध आवेदन की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तत्का0सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 2279-एक/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 22-7-16 से आवेदकगण को ग्राम घोड़ा टाकन के कुल रकबा 2.55 हैक्टर के विकय की अनुमति प्रदान करते हुये शर्त कमांक 3 अनुसार भूमि का विकय पत्र चार माह में संपादित कराना था किन्तु निजी कार्यो से आवेदकगण के राजस्थान चले जाने से विकय पत्र संपादित नहीं हो सका, इसलिये चार माह की और अवधि विकय पत्र संपादन हेतु बढ़ाई जावे। 4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया। तत्का0 सदस्य, राजस्व मण्डल, म0 प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 2279–एक/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 22–7–16 की शर्त कमांक 3 के अनुसार आवेदक को चार माह में विकय पत्र संपादित करा लेना चाहिये था किन्तु उसके व्दारा आदेश की शर्तो का जानबूझकर पालन नहीं किया है जिसके कारण शर्त के उल्लॅघन के दोषी आवेदकगण है यदि शर्तो के अनुसार भूमि का विकय पत्र संपादित नहीं किया एंव अवधि व्यतीत कर दी, आवेदकगण के पास सक्षम न्यायालय में पुनः विकय की अनुमति लेने का उपचार प्राप्त है । आवेदक व्दारा की गई त्रृटि के कारण छोड़ दिये गये लाभ को वह पुनः लेने का पात्र नहीं है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर सक्षम न्यायालय में भूमि विकय की अनुमति के लिये आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। तद्नुसार विविध आवेदन अमान्य किया जाता है। सदस्य	